ग्राम

प्रपत्र-2

ई-मेल

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती

जिला - सक्ती (छ.ग.)

क्रमांक/2905/अनुदान/मान्यता/2023 सक्ती, दिनांक : 09/09/23

प्रति,

प्रबंधक वर्ग,

जिन्दल वर्ल्ड स्कूल कचंनपुर

विकास खण्ड - सक्ती

(अंग्रेजी माध्यम)
नवीनीकरण

जिला - सक्ती (छ.ग.)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा के प्रयोजनों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 07-08-2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पचश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मैं जिन्दल वर्ल्ड स्कूल कचंनपुर (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 1-4-2023 से 31-3-2026 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से बारहवी तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो की पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8वीं के पश्चात् मान्यता/संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (परिशिष्ट-दो) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यहीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उनके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियिम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय सुविश्चित करेगा कि :-

(क) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रांरभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) में अधीन यथा अधिकथित, न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है। पांच वर्ष अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(च) अध्यापक अधिनियम के धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

(छ) अध्यापक स्वयं को किसी निजि अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

(ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजि अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम के धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्न अनुसार है -

* विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
* कुल निर्माण का क्षेत्रफल
* खेल का मैदान का क्षेत्रफल
* अध्यापन कक्षाओं की संख्या
* प्रधान पाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार हेतु कक्ष
* बालाकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
* पेयजल सुविधा
* मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई
* बाधारहित पहुंचे
* अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीड़ा खेलकुद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएँ नहीं चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जावेगा।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखों की किसी चार्टडएकाउन्टन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण के नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड़ संख्यांक .... है। कृपया इसे नोट करले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा। जो शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता प्राप्त संबंधी शर्तो का सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

9/9/23

जिला शिक्षा अधिकारी

/सक्ती

जिला : सक्ती (छ.ग.)